

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झाखण्ड, राँची।

पत्रांक- ५०४ दिनांक- २१/०९/१५

सेवा में

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
झाखण्ड, राँची।

विषय :- सी०सी०एल० की पिपरवार खुली खदान परियोजना हेतु ४३.३० हे० वनभूमि  
अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग :- 1. इस कार्यालय का पत्रांक ८५३ दिनांक ०३.०९.२०१४  
2. मेसर्स सी०सी०एल०, दरभंगा हाउस, राँची का पत्रांक १४४-ए दिनांक  
२९.०४.२०१५  
3. आपके कार्यालय का पत्रांक १४५८ दिनांक ३०.०४.२०१५

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
के पत्रांक ११-५१/२०१५-एल० दिनांक ०१.०४.२०१५ द्वारा नयी गाईड लाईन में निम्नवत् सूचित किया  
गया है -

*'Period of validity of approval accorded under section 02 of FC Act shall be  
extended and shall be deemed to have been extended upto period of coterminous with the  
period of mining lease'.*

इस संदर्भ में मेसर्स सी०सी०एल० के पत्रांक १४४-ए दिनांक २९.०४.२०१५ (छायाप्रति  
संलग्न) द्वारा भारत सरकार के उक्त पत्र का उल्लेख करते हुए विषयक वनभूमि की मंजूरी स्वतः  
२०२५ तक विस्तारित समझते हुए वनभूमि पर कार्य करने की अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया  
गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र एवं इस कार्यालय के पत्रांक ८५३  
दिनांक ०३.०९.२०१४ के संदर्भ में वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वनभूमि पर कार्यानुमति हेतु राज्य  
सरकार को अग्रसारित करने की कृपा की जाय।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झाखण्ड, राँची।  
Balen

७५